न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः राजेन्द्र भट्ट, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 127 / 2023 अपील / भीलवाडा (GCMS 2023/140)
पंजीयन दिनांक– 13 / 09 / 2023
निर्णय दिनांक– 28 / 08 / 2024

1. श्री रामा पिता हजारी भील, निवासी पांसल, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. श्री हनुमान पिता गोटु भील, निवासी टोकरवाड़, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाडा।
3. श्री मांगीलाल पिता जमना भील, निवासी टोकरवाड़, तहसील हुरड़ा, जिला भीलवाडा।

–अपीलांट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत पासंल, पंचायत समिति सुवाणा, तहसील व जिला भीलवाडा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, भीलवाडा, जिला भीलवाडा।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री पंकज बारबर – अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मोहनलाल राव – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
3. श्री मुरलीधर पालीवाल राजकीय अभिभाषक – अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा–76 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, भीलवाडा के
प्रकरण संख्या 07 / 2009 निर्णय दिनांक 24.02.2010

निर्णय

दिनांक 28 / 08 / 2024

1. अपीलांट द्वारा यह अपील (शीर्षक वर्णित) अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय जिला कलक्टर, भीलवाडा, के आदेश संख्या एफ 12–3 (2) (106)आरए / 2011 / 4423 निर्णय दिनांक 15.08.2011 के विरूद्ध दिनांक 24.06.2017 को प्रार्थना पत्र धारा 05

मयाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश मय शपथ पत्र के साथ न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में पेश की गई। राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 05.08.2023 से उदयपुर संभाग का पुनर्गठन किया जाकर जिला भीलवाडा उदयपुर संभाग में सम्मिलित किया गया है, जो कि दिनांक 07.08.2023 से प्रभावी है। उक्त अधिसूचना की अनुपालना में न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, अजमेर से जिला भीलवाडा क्षेत्र की स्थानांतरित हस्तगत पत्रावली इस न्यायालय में दिनांक 13.09.2023 को दर्ज की गई।

2. इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि बकौल अपीलांट जिला कलक्टर, भीलवाडा, के आदेश संख्या एफ 12–3 (2) (106)आरए/2011/4423 निर्णय दिनांक 15.08.2011 से ग्राम पांसल में स्थित आराजी नम्बर 2262 रकबा 8.08 बीघा में से 2.00 बीघा व आराजी नम्बर 2395 रकबा 44.11 बीघा में से 8.00 बीघा कुल किता 2 रकबा 10.00 बीघा भूमि सरपंच, ग्राम पंचायत पांसल के निवेदन एवं उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा के प्रस्ताव तथा नगर विकास प्रन्यास, भीलवाडा के अनापत्ति अनुसार राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के तहत ग्राम पंचायत पांसल को आबादी विस्तार हेतु निःशुल्क आवंटन की जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की गई।

3. उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलंट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

4. यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता पंकज बारबर उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की अधिवक्ता श्री मोहनलाल राव उपस्थित, रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय अभिभाषक उपस्थित ।

5. प्रकरण में इसके साथ ही अपीलांट्स व रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया जिसमें राजीनामें के आधार पर (जो कि संलग्न होकर इस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा, प्रति पत्रावली में संलग्न रहेगी) राजीनामा में वर्णित कलम संख्या 4 राजीनामा अनुसार ग्राम पंचायत पांसल कौरम दिनांक 05.08.2024 को प्रस्ताव संख्या 04 में उक्त प्रकरण (अपील संख्या 127/2023) को ग्राम पंचायत द्वारा सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित कर ग्राम पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि आराजी संख्या 2262/1 रकबा 0.0759 हैक्टेयर (6 बिस्वा) भूमि वर्तमान नक्शा लट्टा (नक्शा ट्रेस) अनुसार अपीलांट रामा व अन्य को तथा आराजी संख्या 2262/2 रकबा 0.5058 हैक्टेयर (2बीघा) भूमि ग्राम पंचायत आबादी विस्तार हेतु वर्तमान नक्शा लट्टा (नक्शा ट्रेस) अनुसार रखी जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाडा के आदेश दिनांक 15.06.2011 को आराजी नम्बर 2262/1 वर्तमान नक्शा लट्टा (नक्शा ट्रेस) की हद तक अपास्त कर दिया जाने पर प्रत्यर्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत को कोई आपत्ति नहीं होने बाबत समझोता/राजीनामा प्रस्तुत किया। पक्षकारान की पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। पक्षकारान को राजीनामा पढ़कर सुनाने पर उनके द्वारा राजीनामा सही होना स्वीकार किया। पत्रावली का रेकर्ड अवलोकन किया गया तो हम यह पाते है कि प्रकरण में विवाद के दृष्टिगत प्रकरण के नातिक निस्तारण के लिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय आराजी नम्बर 2262/1 नक्शा लट्टा (नक्शा ट्रेस) की हद तक अपास्त कर करते हुए राजीनामा के आधार पर बाद जांच नियमानुसार नामांतरकरण की कार्यवाही किये जाने के लिए प्रकरण तहसीलदार, भीलवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायसंगत होगा।

6. उपरोक्तानुसार अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त करते हुए प्रकरण तहसीलदार, भीलवाडा को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।

7. निर्णय की एक प्रति पत्रावली में शामिल हो तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस न्यायालय के निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रेषित की जावें।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र भट्ट)
संभागीय आयुक्त
उदयपुर